न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/03/2025	2025/39	27.01.2025	10.06.2025

1. यादराम पुत्र स्व0 भौती देवी उर्फ भगवती देवी पत्नी स्व0 छोटेलाल,
2. गोपाल पुत्र स्व0 भौती देवी उर्फ भगवती देवी पत्नी स्व0 छोटेलाल,
3. रूपेश पुत्री स्व0 भौती देवी उर्फ भगवती देवी पत्नी स्व0 छोटेलाल,
4. पुष्पा पुत्री स्व0 भौती देवी उर्फ भगवती देवी पत्नी स्व0 छोटेलाल,

समस्त जातियान मीणा निवासीयान ग्राम राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

——अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेन्ट

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार (द्वितीय) अलवर

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ़ दिनांक 30.10.2023 नामान्तकरण संख्या 3618 वाके ग्राम राजगढ़।

उपस्थितः—

01. श्री देवेन्द्र कुमार जैन — वकील अपीलाण्ट

02. श्री दीपक मीणा (राजकीय अभिभाषक) — वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट्स ने यह अपील अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ़ दिनांक 30.10.2023 नामा0 संख्या 3618 वाके ग्राम राजगढ़ से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। वकुलाय उपस्थित।

विद्वान अपील अपीलाण्ट्स द्वारा अपील के समर्थन में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ का निर्णय दिनांक 30.10.2023 बाबत इंतकाल संख्या 3618 ग्राम राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर विधि विरूद्ध, न्यायिक प्रक्रिया, तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.10.2023 की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 23.12.2024 को हुई जबकि अपीलान्ट जमाबंदी की नकल खसरा नम्बर 3698, 3772 ग्राम राजगढ लेने पटवारी हल्का राजगढ के पास गया तो पटवारी हल्का ने उनके नाम विरासत का इंतकाल निरस्त हो जाने के कारण जमाबंदी में अपीलान्टान का नाम नहीं होना बताया जिस पर अपीलान्ट ने इंतकाल संख्या 3618 की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजगढ के यहां प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 26.12.2024 को नकल प्राप्त हुई। दिनांक 25, 26 जनवरी 2025 का अवकाश होने तथा नकल प्राप्त होने का समय मुजरा देन के पश्चात दिनांक 23.12.2024 जानकारी की तारीख से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। दिनांक 30.10.2023 से दिनांक 23.12.2024 तक का समय इंतकाल के निर्णय की जानकारी नही होने के कारण व्यतीत हुआ है, जो धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत माफ किये जाने योग्य है जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

मृतक भगवती देवी उर्फ भौती देवी पत्नी स्व० छोटेलाल का देहान्त दिनांक 04—05—2023 को हो चुका है। जिसकी विरासत का इंतकाल संख्या 3618 गैरकानूनी तरीके से कानूनगो की रिपोर्ट के आधार पर निरस्त किया है, जो आदेश दिनांक 30.10.2023 निरस्त होने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 3698 में बरसाती पानी को एकत्रित करने के लिए कुण्डा टाईप स्थान बना रखा है इसलिए उसकी किस्म तालाब में अंकित की है जो अपीलान्टान के द्वारा स्वंय को अपनी फसल को सिचाई के काम में पानी लेने के लिए अस्थाई बनाया गया है। जिससे की बरसाती पानी को रोका जा सकें। निर्मित तालाब सार्वजनिक उपयोग का नही है। अपीलान्टान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

खातेदार द्वारा पानी एकत्रित करने के लिए अस्थाई बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30—10—2023 गैरकानूनी है जो निरस्त होने योग्य है। इंतकाल विरासत का है जिसमें किसी अन्य का कोई अधिकार नही है। खसरा नम्बर 3772, 701 की किस्म चाही व जाव प्रथम है। इंतकाल फिसकल प्रोसेडिंग है किसी दीगर व्यक्ति को कोई अधिकार भी पैदा नही होता है।

अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर की आज्ञा दिनांक 30.10.2023 बाबत इंतकाल संख्या 3618 ग्राम राजगढ निरस्त फरमाया जावे तथा तहसीलदार राजगढ को अपीलान्टान के नाम विरासत इंतकाल दर्ज कर स्वीकार करने का आदेश प्रदान किया जाये।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2023 के विरूद्ध दिनांक 27.01.2025 को पेश की गयी है जो करीब 01 साल 02 माह 28 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय की बहस पर चिन्तन—मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन करने पर व अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर मृतक भगवती देवी उर्फ भौती देवी पत्नी स्व0 छोटेलाल का देहान्त दिनांक 04.05. 2023 को होने पर विरासत नामान्तकरण संख्या 3618 गैर कानूनी तरीके से कानूनगो की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 30.10.2023 को निरस्त कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण को निरस्त करने से पूर्व अपीलाण्ट को बिना सुने ही आराजी खसरा नंबर 3698 की किस्म तालाब पेठा होने पर खारिज किया गया है। अपीलाण्ट के द्वारा कथन किया गया कि उक्त आराजी खसरा नंबर 3698 मेरी खातेदारी की भूमि है जिसमें बरसाती पानी को एकत्रित करने हेतु कुण्डा टाईप स्थान बना रखा है, जिसका निर्माण अपनी फसल को सिंचित करने हेतु किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रश्नगत नामान्तकरण खारिज करने से पूर्व अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है एवं खारिजशुदा नामान्तकरण में विस्तृत कारण नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ का आदेश इन्तकाल सं0 3618 दिनांक 30.10. 2023 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सम्पूर्ण जांच एवं साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए एक महीने में विधिवत आदेश पारित कर संशोधित नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)